प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 09.05.2019 थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

थाना एत्माद्दौला पर पंजीकृत हत्या से सम्बंधित अभियोग का किया सफल अनावरण, एक अभियुक्त किया गिरफ्तार..........

दिनांक 20.04.19 को डायल–100 से सूचना प्राप्त हुयी कि पवन विहार यमुना किनारा चौकी फाउण्ड्री नगर थाना एत्माद्दौला आगरा क्षेत्र में एक व्यक्ति की लाश पडी है। प्रभारी निरीक्षक थाना एत्माद्दौला मय पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल पर जाकर मृतक की शिनाख्त करने हेतु मृतक की जेब से एक पहचान पत्र मिलने के आधार पर परिजनो को सूचना दी गयी। उक्त घटना के सम्बंध में दिनांक 21.04.19 को वादी श्री रियाजुद्दीन खां पुत्र लक्ष्मीखां निवासी औलिया मस्जिद सादाबाद जनपद हाथरस की तहरीर पर मु0अ0सं0 263/2019 धारा 302 भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग का सफल अनावरण करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व एंव क्षेत्राधिकारी छत्ता के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

- **विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण :–**

विवेचना के दौरान उपरोक्त अभियोग में सलमान खान पुत्र अहमद अली निवासी नगला मैया थाना सादाबाद जनपद हाथरस का नाम प्रकाश में आया। तथा यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि मृतक आरिफ उपरोक्त द्वारा अभियुक्त सलमान खान उपरोक्त के खाते मे दिनांक 01.03.2019 को 6 लाख रूपये दोगुना करने के उद्देश्य से डाले थे। अभियुक्त सलमान खान उपरोक्त देवजन सेवा शिक्षा संस्थान मऊ रोड एस.बी.आई. एटीएम के सामने खन्दारी चौराहा आगरा मे काम करता है। जो एक एन.जी.ओ. है, जिसके मैनेजर देवेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र राजेन्द्र श्रीवास्तव निवासी 335/2 फेस–2 टिकेतरी कालोनी आवास विकास कानपुर के रहने वाले है, वो कस्ट्यूमर के पैसे को 60 से 90 दिनो में दोगुना करने का वादा करते हैं तथा कुछ लोगों के दोगुना कर भी दिये। अभियुक्त सलमान द्वारा धर्मेन्द्र कुमार पुत्र वलवीर सिंह निवासी नगला मैया सादाबाद जनपद हाथरस के साथ मिलकर देवेन्द्र श्रीवास्तव उपरोक्त की सहमति से 6 लाख रुपये हड़पने के उद्देश्य से आरिफ उर्फ रिन्कू उपरोक्त को बीयर पिलाकर अंगोछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी इन 6 लाख रुपये का मृतक के परिजनों को कोई जानकारी नही थी। इस वजह से अभियुक्त सलमान ने अभियुक्त धर्मेन्द्र के साथ योजना बनाकर तथा मैनेजर श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव उपरोक्त की मिलीभगत से आरिफ उर्फ रिन्कू उपरोक्त की हत्या कर पवन विहार कालौनी यमुना किनारे कर दी थी विवेचना से अभियुक्त सलमान खान, अभियुक्त धर्मेन्द्र व अभियुक्त देवेन्द्र श्रीवास्तव उपरोक्त भी प्रकाश मे आये हैं। तथा विवेचना के दौरान उपरोक्त मुकदमें में धारा 120बी/406/404 भा.द.वि. की वृद्धि की गयी।

इसी क्रम में गठित टीम द्वारा दिनांक 09.05.2019 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखविर की सूचना पर उपरोक्त अभियुक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सलमान खान पुत्र अहमद अली उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

- **गिरफ्तार अभियुक्तगण :–**

01. सलमान खान पुत्र अहमद अली निवासी नगला मैया नगला दत्ती थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

- **प्रकाश में आये/फरार अभियुक्तगण का विवरण :–**

01. देवेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र राजेन्द्र श्रीवास्तव निवासी 335/2 फेस–2 टिकेतरी कॉलोनी आवास विकास जनपद कानपुर।
02. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र वलवीर सिंह निवासी नगला मैया थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

- **आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त :–**

01. मु0अ0सं0 263/2019 धारा 302/120बी/406/404 भा.द.वि. थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

02. मु0अ0सं0 16/2018 धारा 411/414 भा.द.वि. व धारा 41/102 द.प्र.सं. थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

- **बरामदगी का विवरण :–**

01. घटना में प्रयोग की गयी मोटरसाइकिल नम्बर यू0पी0 80 ईडब्लू 6680.
02. आला कत्ल अंगोछा।

- **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–**

01. प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह मलिक थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
02. व0उ0नि0 अनुज मलिक थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
03. उ0नि0 अवनीश त्यागी थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
04. उ0नि0 रोहिताश सिंह थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
05. उ0नि0 केशव शाडिल्य सिटी सर्विलांस सेल जनपद आगरा।
06. कां0 752 अनूप कुमार, कां0 2669 अरूण भदौरिया, थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
07. कां0 4141 गिर्राज सिंह सिटी सर्विलांस सेल जनपद आगरा।

मीडिया सेल आगरा पुलिस।